

- अनुमति की शर्तें ।**
- (i) काल मान / पूरवण्ड के निर्माण को स्वीकृति स्थापित सिद्ध नहीं करती है ।
 - (ii) किसी भी प्रकार का विचार (न्यायिक, राजकीय, कानूनिक या अन्य) होने की स्थिति में निर्माण का कोई चरणबद्धि व नहीं होगा तथा न ही निर्माण किसी दतिपूर्ति के लिए चरणबद्धी होगा ।
 - (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निर्माण को सूचित करेंगा ।
 - (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण कार्य जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

काल खिडकी केवल आवासीय प्रयोजनार्थी

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

जी-1
आवासीय

आवेदन क्रमांक 847 दिनांक 08/01/2021
 मालीका श्रीमती आशुदेवी जाठ श्री अधलाराम
 ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2008 क्वार्टर संख्या 178 कमला नेशनल नगर
 धारा 194 (7) (iv) के तहत आवासीय फ्लैट विस्तर, सैक्टर 3
 भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश
 कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 8000/- (आठ
 हजार) रसीद संख्या 9069/8438, 8429
 दिनांक 08/01/2021 को जमा वना दी है ।

9 जनवरी 2021

सहायक नगर नियोजक
 नगर निगम, जोधपुर

दक्षिण

Spec
 10/1/2021
 9414140